ठगी के पांच आरोपी गिरफ्तार

जयपुर/उदयपुर। शहर के सुखेर थाना पुलिस ने आईनलाईन गैमिंग जरिये ठगी करने वाली गैंग के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।

खोया पाया

मेरे भूखण्ड संख्या बी-491, अनुपम विहार योजना का मूल कब्जा पत्र कहीं गुम हो गए है मिलने पर सम्पर्क करें। रीना गुप्ता, फोन नंबर-7232025363

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1150 चूंकि प्रार्थी श्री SISTER LOVITA JOSEPH 401, SOPHIA GIRLS COLLEGE, MIRSHAHALI, JAIPUR ROAD, AJMER ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास एजुकेशनन्ल सोसायटी ऑफ सेन्ट एंजिला सोफिया जयपुर, ST. ANGELA SOPHIA HIGHER SECONDARY SCHOOL, OUTSIDE GHAT GATE JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 19.03.2026

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1151 चूंकि प्रार्थी श्री KAMAL KUMAR KOTHARI, 101/5, JLN MARG NEAR POLICR MEMORIAL JAWAHAR NAGAR, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास पन्नालाल कोठारी मेमोरियल ट्रस्ट JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 19.03.2026

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1154 चूंकि प्रार्थी श्री HARI SHANKAR SHARMA, NEAR BADA MAHADEV MANDIR ANDHI JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण संस्था, दौसा SUNDAR DAS MARG, DAUSA के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 19.03.2026

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1159 चूंकि प्रार्थी श्री KAMAL KUMAR KOTHARI 1015, JLN MARG JAWAHAR NAGAR, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास ज्वैलर कल्चरल सोसायटी PITLIYA BHAWAN, PITLIYON KA CHOWK, JOHARI BAZAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 19.03.2026

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

मुख्यमंत्री स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के जन्मदिवस कार्यक्रम में शामिल हुए

शर्मा ने कहा कि जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने तप से देश-दुनिया में हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया है

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को नींदड़ में जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के जन्मदिवस कार्यक्रम में सपत्नीक शामिल हुए। उन्होंने जगद्गुरु को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राम हमारे रोम-रोम में बसते हैं। जयपुर में श्रीराम कथा का आयोजन हम सबके जीवन का पुनीत संयोग है। इससे राम नाम की महक चारों ओर फैली हुई है तथा हनुमान चालीसा के पवित्र स्वर और वेद मंत्रों की गूंज हर जगह सुनाई पड़ती है।

उन्होंने कहा कि जगद्गुरु इस युग के महान विद्वान, तपस्वी और रामभक्त हैं। शर्मा ने कहा कि जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने तप से देश-दुनिया में हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया है और ज्ञान की ज्योति जलाई है।

उन्होंने भगवान श्रीराम के नाम को हर घर, गांव और शहर तक पहुंचाने का प्रण लिया है। चित्रकूट की पावन भूमि से लेकर देश-दुनिया तक जगद्गुरु श्रीराम कथा के माध्यम से राम नाम की अमृत वर्षा करते है।मुख्यमंत्री ने कहा कि जगद्गुरु ने तुलसी पीठ की स्थापना कर रामायण और हिंदी साहित्य की सेवा का अद्भुत कार्य किया है। प्रभु श्रीराम मर्यादा, सत्य और धर्म के साक्षात स्वरूप हैं तथा भगवान राम का चरित्र मानवता के लिए सर्वोच्च आदर्श है।शर्मा ने कार्यक्रम में रामानंद मिशन की ओर से दिव्यांग छात्र-छात्राओं को सहायक उपकरण वितरित किए। साथ ही, उन्होंने सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए युवाओं को हेलमेट सौंपे और स्वच्छताकर्मियों का सम्मान भी किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने साध्वी ऋतंभरा का श्रीफल व दुपट्टा भेंट कर अभिनंदन किया।इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, सांसद मदन राठौड़, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निंबाराम सहित बड़ी संख्या में साधु-संत एवं आमजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने साध्वी ऋतंभरा का श्रीफल व दुपट्टा भेंट कर अभिनंदन किया।

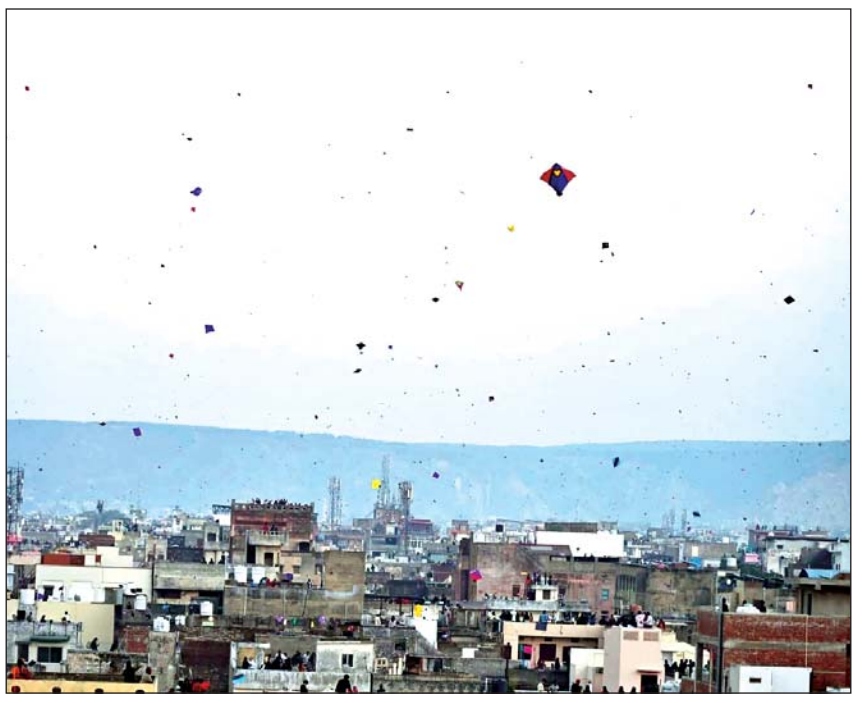

मकर संक्रांति के अवसर पर दिनभर पतंग महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया।

सीआईएसएफ अधिकारी का बर्खास्तगी आदेश रद्द

- एफआईआर के आधार पर सीआईएसएफ ने उसे निलंबित कर दिया और चार दिन बार ही बिना जांच किए सेवा से बर्खास्त कर दिया था
- हाईकोर्ट ने मृत परिजनों से जुड़े मामले में एफआईआर के बाद सीआईएसएफ निरीक्षक को निलंबित कर बाद में बिना जांच बर्खास्त करने को गलत माना

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मृत सीआईएसएफ जवान के परिजनों से जुड़े मामले में जांच के दौरान दर्ज एफआईआर के बाद सीआईएसएफ निरीक्षक को निलंबित कर बाद में बिना जांच बर्खास्त करने को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश बलराम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सोगत रॉय ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता साल 2003 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में निरीक्षक लगा था। उसे मुंबई स्थित सीआईएसएफ यूनिट से एक मृत सीआईएसएफ जवान के परिजनों से जुड़े मामले में जांच के लिए देहरादून भेजा गया। उस दौरान मृत जवान के परिजनों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मारपीट और अपमान करने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर के आधार पर सीआईएसएफ ने उसे निलंबित कर दिया और चार दिन बार ही बिना जांच किए सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद दायर विभागीय अपील को भी खारिज कर दिया गया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि सीआईएसएफ नियम, 2001 के तहत बडी सजा देने से पहले नियम 36 के तहत विभागीय जांच जरूरी है। दूसरी और विभाग की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता पर गंभीर आरोप थे और पीड़ित पक्ष की सुरक्षा व बल की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत कार्रवाई जरूरी थी। सीआईएसएफ अनुशासित बल है और ऐसी कठोर कार्रवाई से बल की छवि बनी रह सकती है।

पुलिस वाहन में तैनात कांस्टेबल लूट के आरोप में गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर में ईआर-112 पुलिस वाहन में तैनात एक कांस्टेबल और प्राइवेट ड्राइवर द्वारा युवक से लूट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि दोनों ने पुलिस का डर दिखाकर मारपीट की और करीब दो लाख रुपए लूट लिए। मोती डूंगरी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

थानाधिकारी अजय कांत रतूड़ी ने बताया कि लूट के मामले में शुभम मीणा (27) निवासी कोटपूतली-बहरोड़ तथा सुरेंद्र शर्मा (26) निवासी डाहर, चाकसू को गिरफ्तार किया गया है। शुभम मीणा पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, जबकि सुरेंद्र शर्मा ईआर-112 वाहन का प्राइवेट ड्राइवर है।

इस संबंध में आदर्श नगर के धन्नादाजी की बगीची निवासी फैजान कुरैशी (23) ने मामला दर्ज करवाया था कि 13 जनवरी की रात वह जगतपुरा में चिकन का भुगतान लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान भोमिया जी की छतरी के पास ईआर-112 पुलिस वाहन ने उसे रोका। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया।

बुजुर्ग महिला को लिफ्ट का झांसा देकर लूटपाट की

जयपुर। शिवदासपुरा थाना इलाके में एक बुजुर्ग महिला को अंजान बाइक सवार युवक से लिफ्ट लेना भारी पड़ गया। बदमाश ने लिफ्ट देने का झांसा दे बाइक पर बैठाया और सुनसान जगह ले जाकर उसे जान से मारने की धमकी देकर पहने हुए सोने के आभूषण खुलवाए और लेकर फरार हो गया। आरोपी के चुगंल से निकलने के बाद पीड़िता जैसे-तैसे घर पहुंची और घटना की जानकारी अपने पौते को दी। जिसके बाद पोता दादी को लेकर थाने पहुंचे और अज्ञात बाइक सवार बदमाश के लिए लूट का मामला दर्ज कराया। पुलिस नेलूट का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।

बिना नियमित जांच अप्रमाणित सामग्री के आधार पर नहीं ठहराया जा सकता दोषी : हाईकोर्ट

- अदालत ने एएसआई को पदावनत कर हैड कांस्टेबल बनाने के आदेश को रद्द किया

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी को पदावतन करने से जुड़े मामले में कहा है कि बिना नियमित जांच किए केवल अखबार में प्रकाशित फोटो या अप्रमाणित सामग्री के आधार पर व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता एएसआई को पदावनत कर हैड कांस्टेबल बनाने के आदेश को रद्द कर दिया है। हालांकि अदालत ने विभाग को छूट दी है कि वह चाहे तो मामले में नियमानुसार नियमित जांच कर सकता है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश अजीत मोगा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सेवा नियम, 1958 के नियम 19 के उपनियम 2 का प्रयोग अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। यह प्रावधान विभाग को जांच से बचने का लाइसेंस नहीं देता। समान परिस्थिति में जब एक अधिकारी को राहत दी गई तो दूसरे को दंड देना समानता के अधिकार के भी खिलाफ है।

याचिका में अधिवक्ता मुकेश कुमार ने अदालत को बताया कि जनवरी, 2020 में एक दैनिक समाचार पत्र में कुछ पुलिस अधिकारियों की अपराधियों के साथ मौजूदगी दर्शाते हुए तस्वीरें प्रकाशित हुई थी। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस के आलाधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता आपराधिक तत्वों के संपर्क में है। इसके बाद बिना नियमित विभागीय जाए किए उसे हेड कांस्टेबल पद पर पदावनत कर दिया गया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि न तो उसे सुनवाई का मौका दिया गया और ना ही प्रकाशित फोटो की फॉरेंसिक जांच कराई गई, जबकि ये फोटो एआई से बनाई जा सकती हैं।

पीएमश्री देशनोक विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे शासन सचिव

जयपुर। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल बुधवार को बीकानेर जिले के पीएमश्री राजकीय करणी उच्च माध्यमिक विद्यालय, देशनोक का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षिणक, प्रशासनिक एवं आधारभूत व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। विद्यालय परिवार ने शॉल ओढ़ाकर शासन सचिव का स्वागत किया।

शासन सचिव कुणाल ने कक्षा-कक्षों का भ्रमण कर शिक्षण गुणवत्ता का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कक्षा 12 के विद्यार्थियों को केमिस्ट्री विषय का अध्यापन भी कराया तथा विषय से संबंधित प्रश्न पूछकर उनकी समझ का आकलन किया। विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने एवं नियमित अध्ययन पर जोर दिया।

निरीक्षण के दौरान कुणाल ने विद्यार्थियों के साथ जमीन पर बैठकर मध्याह्न भोजन भी किया और भोजन की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने विद्यालय में संचालित व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए विद्यालय परिवार के प्रयासों की प्रशंसा की तथा उन्हें निरंतर बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया ।

पतंग उत्सव में हुई भव्य आतिशबाजी

जयपुर। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर नगर निगम एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के सहयोग से राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और पर्यटन पहचान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर और सशक्त करने वाले भव्य काईट फेस्टिवल के दूसरा चरण हवामहल के सामने आयोजित हुआ।

उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की गरिमा मयी उपस्थिति में पतंग उत्सव के दूसरे चरण में हुई भव्य आतिशबाजी से गुलाबी नगर का परकोटा आतिशबाजी की रंगीन रौशनी में नहा गया। सुर्ख काले आसमान में जगमगाती रौशनी ने चमकदार रंग भर दिए।आसमानी फूलझड़ियों, रॉकेट, पटाखों के सुरीले धमाकों और गड़गड़ाहट से सारा वातावरण गुंजायमान हो उठा। यहां हजारों की संख्या में मौजूद दर्शक टकटकी लगाए आसमान में खिलखिलाते हुए सितारों को निहारत रहे। जोश, उमंग, उत्साह से अद्भुत समा बंध गया।आतिशि सितारों से चमचमाता ऐसा नजारा शायद ही पहले कभी इस क्षेत्र में नज़र आया हो।

दिनभर के सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्सव के बाद शाम 6.30 बजे से पतंग उत्सव के दूसरे चरण में लालटेन उड़ाने का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।गुलाबी शहर के आसमान में रोशनी और रंगों से सजी आतिशबाज़ी ने इस काईट फेस्टिवल का यादगार समापन किया।

मकर संक्रांति पर सिटी पैलेस में 'पतंग महोत्सव' मनाया

पर्यटकों ने सिटी पैलेस के मुबारक महल की छत पर पतंग महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया ।

जयपुर। मकर संक्रांति के अवसर पर सिटी पैलेस के मुबारक महल की छत पर पतंग महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। देशी-विदेशी पर्यटकों ने सिटी पैलेस से शहर की मशहूर पतंगबाजी का आनंद उठाया। उत्सव में पर्यटकों के लिए निशुल्क पतंग और डोर की व्यवस्था की गई थी। इस आयोजन का उद्देश्य गुलाबी शहर की पतंगबाजी की प्राचीन परम्परा और संस्कृति को बनाये रखने और शहर में आने वाले पर्यटकों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराना था।

उत्सव के दौरान राजस्थानी लोक गायक द्वारा पारंपरिक राजस्थानी गीतों की प्रस्तुति दी गई। पर्यटकों और आगंतुकों ने पतंग उड़ाने के साथ-साथ पारंपरिक व्यंजनों जैसे दाल की पकौड़ी और तिल के लड्डुओं का भी लुत्फ उठाया। इस वर्ष भी सिटी पैलेस के सर्वतोभद्र चौक में एचएच. महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समय (1835-1880) की विभिन्न प्रकार की चरखियों के साथ तितली के आकार की एक बड़ी पतंग तुक्कल भी प्रदर्शित की गई। यह पतंग पर्यटकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रही। तुक्कल पतंग एक विशेष प्रकार की फाइटर-काइट है, जो कि एचएच. महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समय से बहुत ही लोकप्रिय है।